क्रम संख्या–181

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2018 ई0

आश्विन 24, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 352 / XXXVI(3) / 2018 / 64(1) / 2018

देहरादून, 16 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 29 वर्ष, 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 29, वर्ष, 2018)

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (अधिनियम संख्या 7 वर्ष, 1870) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "न्यायालय शुल्क (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2018" है।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

नई धारा 1 ख का अंतःस्थापन

2. न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 1 क के पश्चात् एक नई धारा 1 ख अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:–

"1 ख 'ई–भुगतान' की परिभाषा – इस अधिनियम में ई–भुगतान से किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं के लिए भुगतान का कोई संव्यवहार अभिप्रेत है।"

धारा 13 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 13 में "कलेक्टर से" शब्दों के पश्चात् "या ई–भुगतान के माध्यम से" शब्द अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 14 में "कलेक्टर से" शब्दों के पश्चात् "या ई–भुगतान के माध्यम से" शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 15 में "कलेक्टर से" शब्दों के पश्चात् "या ई–भुगतान के माध्यम से" शब्द अंतः स्थापित किये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 16 में"कलेक्टर से" शब्दों के पश्चात् "या ई–भुगतान के माध्यम से" शब्द अंतः स्थापित किये जायेंगे।

धारा 25 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 25 में "स्टाम्पों द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या ई–भुगतान के माध्यम से" शब्द अंतः स्थापित किये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

8. मूल अधिनियम में धारा 26 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (2) अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:–

"(2) उपधारा (1) एवं धारा 25 के उद्देश्यों के लिए स्टाम्प से समुचित सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिह्न, सील या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इसमें इस अधिनियम के अधीन देय न्यायालय शुल्क के उद्देश्यों के लिए आसंजक स्टाम्प या छापित स्टाम्प सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण:– "छापित स्टाम्प" में फ्रैंकन मशीन या किसी अन्य मशीन द्वारा छाप या ई–स्टाम्पिंग अथवा किसी समरूप सॉफ्टवेयर, जैसा कि समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा प्राप्त एक विशिष्ट नंबर सम्मिलित है।

धारा 30 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 30 में एक परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि जहाँ न्यायालय शुल्क का भुगतान, ई–भुगतान द्वारा किया जाता है, वहाँ स्टाम्प या ई–भुगतान को निरस्त करने के लिए सक्षम अधिकारी भुगतान की प्रमाणिकता को सत्यापित करेगा एवं अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि न्यायालय शुल्क का भुगतान हो गया है, कम्प्यूटर में इसकी प्रविष्टि रक्षित करेगा एवं दस्तावेज में अपने हस्ताक्षर सहित एक पृष्ठांकन करेगा कि न्यायालय शुल्क का भुगतान हो गया है एवं प्रविष्टि को रक्षित कर दिया है।"

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

कारण और उद्देश्य

न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिस्थितियों में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में ई–भुगतान एवं ई–स्टाम्पिंग के माध्यम से न्यायालय शुल्क जमा कराने की सुविधा प्रदान किया जाना अपरिहार्य है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 55 विधायी/595–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।